


तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर इकबालिया राजीनामा पेश किया। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में वादी एवं प्रतिवादीगण को जरिये राजीनामों से वाद को स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।


निर्णय

खेत खसरा नम्बर 33 तादादी 15.39 हैक्टेयर (0.2900 हैक्टेयर गै.मु.रास्ता 15.10 हैक्टेयर बारानी) वाकेरोही ग्राम गजपुरा तहसील श्रीडुंगरगढ जिला बीकानेर में वादीगण के पक्ष में ब.हि.ब. खातेदारी घोषित की जाती है। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में छोड़ दिया है, तहसीलदार श्रीडुंगरगढ नियमानुसार परित्याग पत्र पर स्टाम्प ड्यूटी वसूल कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करें। रहन यथावत रहेगा। तहसीलदार श्रीडुंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.06.20 को सरे इजलास नेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कन होकर दाखिल दफ्तर हो

निर्णय सुनाया गया।




(दिव्या)

जिला अधिकारी
श्रीडुंगरगढ (बीकानेर)

